## न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 12/2021 दायरा दिनांक : 02.02.2021

**उनवान**

1– बंशी लाल पिता मांगी लाल, जाति लोधा, निवासी सादला

2– बजरंग लाल आ. मांगी लाल, जाति लोधा, निवासी सादला

3– मांगी बाई बेवा परमानन्द, जाति लोधा, निवासी सादला

तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

**बनाम**

1– बलराम पिता रामकिशन, जाति लोधा, निवासी सादला, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– राजू बाई पुत्री परमानन्द, जाति लोधा, निवासी सादला, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– मंगली बाई पुत्री परमानन्द, जाति लोधा, निवासी सादला, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– काशी बाई पुत्री मांग्या, जाति लोधा, निवासी सादला, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– ग्यारसी बाई पुत्री मांग्या, जाति लोधा, निवासी सादला, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– हाडौती केन्द्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जावर, तहसील मनोहरथाना

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह हाड़ा
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0

8– राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री दिलराज मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 26.08.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या– 4/प्रा0पत्र/2018 निर्णय दिनांक 18.02.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेंट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 251 ए पेश कर कथन किया कि ग्राम सादला, तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या पुराना 13 की खसरा नं. 240 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 241 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 242 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 280/733 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 453 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 477 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 505 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा कुल 7 किता की 23 बीघा 10 बिस्वा आराजी एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज है का दावा किया तथा ग्राम सादला के खाता संख्या 135 की खसरा नम्बर 46 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 103 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा,

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

खसरा नम्बर 504 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल 6 किता की 13 बीघा 7 बिस्वा अप्रार्थीगण शामलाती खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 505 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा को काश्त करने हेतु प्रार्थी के गांव से हरनावदा मनोहरथाना रोड़ होकर अप्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 504 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा में से होकर काश्त करता चला आ रहा है । प्रार्थी के पास अपने खाते की खसरा नम्बर 505 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा आराजी को काश्त करने का एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 504 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा में से होकर है । प्रार्थी को अपनी आराजी काश्त करने के लिए यही एक मात्र रास्ता है जिसको अपने बाप दादाओं के समय से ही काम लेता आ रहा है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । अप्रार्थीगण प्रार्थी के रास्ते को अवरूद्ध करना चाहते हैं इस कारण प्रार्थी को अपनी आराजी काश्त करने के लिए अप्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 504 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहता है ताकि प्रार्थी अपने कृषि संसधान से आराजी पर काश्त कर सके । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी डिक्री कर प्रार्थी को अपने खाते की ग्राम सादला के माल की खाता संख्या 15 खसरा नम्बर 505 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर आने जाने के लिए अप्राथीगण के खाते की खसरा नम्बर 504 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 20X30 = 600 वर्ग फीट आराजी की डी.एल.सी. दर 13,730/– रूपये की दुगनी राशि 27,460/– रूपये बनती है जो नियमानुसार जमा करवायी जावे तथा अप्रार्थीगण बंशीलाल पिता मांग्या हिस्सा 17/24, बजरंगलाल पिता परमानन्द, राजूबाई, मंगलीबाई पुत्री परमानन्द, मांगीबाई बेवा परमानन्द हिस्सा 3/24, काशी, ग्यारसीबाई पुत्रियां मांग्या हिस्सा 1/12, जाना पत्नी बिहारीलाल हिस्सा 2/24 जाति लोधा को नियमानुसार भुगतान किया जावे । उक्त आराजी गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज कर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे का निर्णय

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावे में सही तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया व निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है और निरस्त होने योग्य है । प्रकरण में मात्र प्रतिवादी बंशीलाल, बजरंग लाल व मांगीबाई का ही जवाब लिया व किसी का कोई जवाब नहीं लिया एवं बाकी प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक्स पार्टी अमल में लायी गयी है । इस कारण से निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलांट संख्या 1, 2, 3 द्वारा जो प्रकरण में जवाब पेश कि आराजी खसरा नम्बर 505 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा आराजी पर प्रार्थीगण के पास काश्त करने के लिये आने जाने का वैकल्पिक अन्य मार्ग उपलब्ध है वादी अपनी सुविधा के अनुसार अप्रार्थीगण के खाते की आराजी में होकर नया रास्ते की मांग कर रहा है जो गैर कानूनी है क्योंकि अप्रार्थी के पास जो रास्ता उपलब्ध है एवं जिस रास्ते में प्रार्थी अपनी आराजी पर आ रहा है उस पर हल, कुली, बैलगाडी, कृषि यन्त्र आसानी से आते जाते हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थी के खाते की आराजी में से होकर नया रास्ता निकाल दिया जाता है तो अप्रार्थी अपीलांट को अपार क्षति होगी । वादी को अपीलांट के खेत में जो रास्ता दिया गया है वह गलत दिया है । यह रास्ता रेकार्ड में नहीं है रास्ता पूर्व में भी नहीं था । वादीगण रेस्पोडेंट रास्ता सीधा मांग राहा है जो गलत रास्ता दिया है एवं 20 फीट का रास्ता दिया है जो अधिक दिया है यदि रास्ता देना था तो मात्र 10 फीट का ही देना चाहिए था, 10 फीट में ट्रेक्टर, गाडी, गडार निकल सकते हैं व हल कुली, कृषि यन्त्र आ जा सकते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर निर्णय किया है वह विधि विरूद्ध किया है । पत्रावली का यदि दावा किया है तो उसको दोनों पक्ष को सुनना चाहिए एवं बहस सुननी चाहिए बहस नहीं सुनी इस कारण से भी निर्णय निरस्तनीय है। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 4, 6, 7, 8 को एक्स पार्टी बताकर निर्णय पारित किया जो विधि

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ राजस्थान

विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2020 निरस्त किया जावे एवं जो रास्ता वादी को दिया है वो रास्ता 10 फीट का दिया जावे एवं निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि दिनांक 23.03.2020 से लोक डाऊन लग गया एवं लोक डाऊन की अवधि को इस अपील में शामिल की जावे । अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.07.2019 में अंकित है कि ''पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी नं. 4, 6, 7, 8, 9 की तलबी हेतु तलबाना प्रस्तुत करने पर जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब हेतु दिनांक 16.07.2019 को पेश हो''। एवं आदेशिका दिनांक 24.07.2019 में अंकित है कि ''पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उप.। प्रतिवादी नं. 4, 6, 7, 8, 9 बावजूद सूचना के अनु. रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब एवं रिपोर्ट टी.डी.आर. म.थाना दिनांक 30.07.2019 से पेश हो। जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कानूनी प्रावधानों के तहत मौके पर कोई भी वैकल्पिक रास्ता मौजूद है या नहीं इस तथ्य की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। न्यायहित में अपीलांट की सुनवाई आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत सुनवायी कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय नियमानुसार उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2020 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेंट प्रार्थी को कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं तथा अपीलांट के खेत में से रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है यह भी जांच करें कि रेस्पोडेंट पूर्व में अपने खाते में जमीन में किस प्रकार आते जाते रहे हैं। उपरोक्त बिन्दुओं पर परीक्षण करते हुए धारा 251 (ए) के नियमों को मध्य नजर रखकर एवं पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.12.2022 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/8/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी,